रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929

No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.नि. 249(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 222

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2007 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यय मदें भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	12500.00
अरूणाचल प्रदेश	250.00
असम	425.00
बिहार	11947.00
छत्तीसगढ़	7740.00
गोवा	250.00
गुजरात	5000.00
हरियाणा	2500.00
हिमाचल प्रदेश	2876.00
जम्मू कश्मीर	2250.00
कर्नाटक	19320.00
केरल	14330.00
मध्य प्रदेश	7500.00
महाराष्ट्र	7500.00
मणिपुर	862.50
मेघालय	1200.00
मिजोरम	1500.00
नागालैंड	1975.00
उड़ीसा	4050.00
राजस्थान	10600.00
तमिलनाडु	7500.00
उत्तर प्रदेश	4021.40

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, राज्य की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए और राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार संदत्त अधिक रकम, ऐसी किसी राशि या राशियों में समायोजित की जाएगी, जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संबद्ध राज्य सरकार को संदेय हो सकती है ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति ।"

[फा.सं. 19(6)/2007-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 249(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 222

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 5 ORDER, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, towards expenditure for State specific Needs, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	12500.00
Arunachal Pradesh	250.00
Assam	425.00
Bihar	11947.00
Chhattisgarh	7740.00
Goa	250.00
Gujarat	5000.00
Haryana	2500.00
Himachal Pradesh	2876.00
Jammu and Kashmir	2250.00
Karnataka	19320.00
Kerala	14330.00
Madhya Pradesh	7500.00
Maharashtra	7500.00
Manipur	862.50
Meghalaya	1200.00
Mizoram	1500.00
Nagaland	1975.00
Orissa	4050.00
Rajasthan	10600.00
Tamil Nadu	7500.00
Uttar Pradesh	4021.40

Provided that the sums specified above shall be expended on programme formulated by the State Government for State Specific Needs and approved by the High Level Commitee of the State :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programmes as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to the concerned State Government in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,

President."

[F.No. 19(6)/2007-Leg. I]

K.N. CHATURVEDI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.